संख्या: 04 /2023 /1779 /चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2023

विषय:- लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1474/सं0नि0-6(153)/2020-21, दिनांक 25 अगस्त, 2022 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-109/2022/498/चार-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ में निर्माणाधीन जनजातीय संग्रहालय को राज्य संस्कृति संग्रहालय के रूप में विकसित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 461.00 (रूपये चार करोड़ इक्सठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

(1) शासनादेश संख्या-109/2022/498/चार-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ में उ0प्र0 जनजातीय संग्रहालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्तीय स्वीकृति का यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

संख्या- 04 /2023 /1779(1) /चार-2022 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य एवं अधिष्ठाता, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।